

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)

आदेश

विविध वाद संख्या-168 / 2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

राजेश उराँव वगैरह प्रथम पक्ष

बनाम

रामेश्वर उराँव द्वितीय पक्ष

16.01.2018

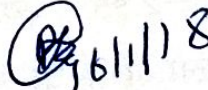
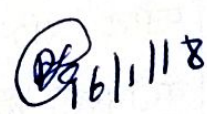
यह प्रक्रिया आवेदक 1. राजेश्वर उराँव, 2. कांग्रेस उराँव, दोनो के पिता-लाल उराँव, ग्राम-हुटूकदाग, टोला-गोरवाटांड़, थाना-छत्तरपुर, जिला-पलामू के आवेदन पत्र के आलोक में मौजा-हुटूकदाग, खाता सं०-32, प्लॉट सं०-1769/796, रकबा-1.00 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल-झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव, प्लॉट सं०-1770/796, रकबा-3.95 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल-झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव एवं प्लॉट सं०-1771/1126, रकबा-1.00 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल-झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव, कि भूमि पर धारा 144 दंडप्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। जिसमें राजेश्वर उराँव पिता-पुनाई उराँव, ग्राम-हुटूकदाग, टोला-गोरवाटांड़, थाना-छत्तरपुर, जिला-पलामू को विपक्षी बनाया गया। उभय पक्षों के बिच विवाद को देखते हुए एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विवादी भूमि के ऊपर धारा

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	
	144 दं०प्र०सं० कि प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह प्रक्रिया प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आलोक में मौजा-हुटूकदाग के खाता सं०-32, प्लॉट सं०-1769/796, रकबा-1.00 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल-झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव, प्लॉट सं०-1770/796, रकबा-3.95 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल- झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव एवं प्लॉट सं०-1771/1126, रकबा-1.00 एकड़, चौहद्दी, उत्तर-रोहनी उराँव, दक्षिण-जंगल-झाड़ी, पूरब-शिवनाथ पाठक, पश्चिम-बांध/नन्हक उराँव, की भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया। वाद भूमि प्रथम पक्ष को सरकार द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त है जिस पर प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है, जिस पर विपक्षी दावा करते हैं। विपक्षी को प्रथम पक्ष के भूमि पर दावा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि वाद भूमि द्वितीय पक्ष को भूदान यज्ञ कमिटी के केस नं०-60/1979 से प्राप्त है तथा प्लॉट सं०-1769/796 तथा प्लॉट सं०- 1771/1126 में क्रमशः रकबा-	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	1.64 एकड़ एवं 1.53 एकड़ है जिसका द्वितीय पक्ष के नाम से भूदान पर्चा बना तथा संपूष्टिकरण के बाद मालगुजारी रसीद तब से आज तक दखल-कब्जा के आधार पर द्वितीय पक्ष के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। द्वितीय पक्ष विवादी भूमि पर तब से आज तक दखलकार हैं। खाता सं०-32, प्लॉट सं०-1126 अंतर्गत रकबा-2.35 एकड़ भूमि का बंदोबस्ती द्वितीय पक्ष के पूर्वज लालो देवी के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा जमीन्दारी बंदोबस्ती से प्राप्त है इसके साथ प्लॉट सं-13/03, रकबा-2.20 एकड़ भूमि भी समिलीत है जिसपर द्वितीय पक्ष का पूर्वज के समय से शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बंदोबस्ति पर्चा की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमीन्दारी पट्टा एवं रसीद की छायाप्रति, सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति, एवं प्रारूप खतियान मौजा हुटूकदाग के खाता सं०-32 के नकल का छायाप्रति समर्पित किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोप्रांत ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष द्वारा बंदोबस्ती से भूमि प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है वहीं द्वितीय पक्ष के द्वारा भूदान एवं जमीन्दारी से प्राप्त होने का	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	दावा किया जा रहा है। यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है, जिसका निपटारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। आवेदक चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  6/11/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।  6/11/18 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	